



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082020-221427
CG-DL-E-29082020-221427

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2595]
No. 2595]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त 2020

का.आ. 2926(अ).—जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, का.आ. 632(अ) दिनांक 7 फरवरी 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उपधारा (1) के तहत जारी (48) 1956) (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 234 के निर्माण (चौड़ीकरण / फोर-लेनिंग, आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि को अधिग्रहित करने का अपना इरादा घोषित किया। किमी.243.2 से किमी. 290.2 (हुलियार सिरा सेक्शन) तक जमीन के खिंचाव पर कर्नाटक के राज्य में तुमुकुर में

और जबकि उक्त अधिसूचना का पदार्थ "विजय वाणी" और "द हिंदू" दोनों में 21 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया है; उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3);

और जबकि आपत्तियाँ प्राप्त की गई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि केंद्र सरकार में बिल्कुल निहित होगी, सभी एन्क्मन्ट्स से मुक्त।

अनुसूची

कर्नाटक के राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 234 पर किमी. 243.2 से किमी. 290.2 (हुलियार सिरा सेक्शन) की भूमि के भीतर गिरने, बिना संरचना के साथ प्राप्त की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: तुमकुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चिकनायकनहल्ली				
	गांव का नाम: बेल्लरा				
1	194 / 11	निजी	वेट	0.01	यलियप्पा एस / ओ डोड्डैया ()
2	194 / 12	निजी	वेट	0.005	निंगैया एस / ओ कटैया ()
3	194 / 13	निजी	वेट	0.005	महालिंगैया एस / ओ कटैया ()
4	194 / 14	निजी	वेट	0.005	बसवलिंगैया एस / ओ डोड्डैया ()
5	194 / 15	निजी	वेट	0.005	क्यथाय स / ओ कटैया ()
6	194 / 16	निजी	वेट	0.005	चिक्कन्ना एस / ओ कटैया ()
7	194 / 17	निजी	वेट	0.18	करे सबड्या ()
8	194 / 18	निजी	वेट	0.085	निन्गाम्मा ()
9	194 / 2	निजी	वेट	0.0148	यलियप्पा एस / ओ डोड्डैया, डोड्डैया एस / ओ कटैया और अन्य ()
10	194 / 4	निजी	वेट	0.0075	डोड्डैया एस / ओ क्यथायाह

					()
11	194 / 5	निजी	वेट	0.015	पथइया एस / ओ मइगाया, महालिगैया स / ओ मइगाया ()
12	194 / 6	निजी	वेट	0.02	चिककारंगैया एस / ओ रंगिया ()
13	194 / 7	निजी	वेट	0.0079	करियाना एस / ओ चिककलिंगना, आर पुरदियाह एस / ओ रंगिया ()
14	194 / 8	निजी	वेट	0.0016	जयन्ना एस / ओ चिककारंगप्पा ()
15	195	निजी	वेट	0.18	परवथम्मा डब्ल्यू / ओ नरसप्पा ()
16	6 / 2B	निजी	ड्राई	0.0607	करेगौड़ा एस / ओ कारेथिमेगौड़ा ()
			कुल	0.6075	

[फा. सं. NH-12014/7/2016-KNT(P-6)/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2020

S.O. 2926(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 632(E) dated 7th February 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four-laning, etc), Maintenance, management and operation of NH234 on the stretch of land from Km. 243.2 to Km. 290.2 (Huliyar Sira Section) in the district of TUMKUR in the State of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Vijaya vani*” and “The Hindu” both dated 21st February 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 243.2 to Km. 290.2 (Huliyar Sira Section) on the NH234 in the State of KARNATAKA.

State: KARNATAKA			District: TUMKUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chiknayakanhalli				
	Village: Bellara				
1	194 / 11	Private	WET	0.01	Yaliyappa S / o Doddaiiah
2	194 / 12	Private	WET	0.005	Ningaiah S / o Kataiah
3	194 / 13	Private	WET	0.005	Mahalingaiah S / o Kataiah
4	194 / 14	Private	WET	0.005	Basavalingaiah S / o Doddaiiah
5	194 / 15	Private	WET	0.005	Kyathaiah S / o Kataiah
6	194 / 16	Private	WET	0.005	Chikkanna S / o Kataiah
7	194 / 17	Private	WET	0.18	Kare subbaiah
8	194 / 18	Private	WET	0.085	Ningamma
9	194 / 2	Private	WET	0.0148	Yaliyappa S / o Doddaiiah , Doddaiiah S / o Kataiah and others
10	194 / 4	Private	WET	0.0075	Doddaiiah S / o Kyathaiah
11	194 / 5	Private	WET	0.015	Pathaiah S / o Maigaiah , Mahalingaiah S / o Maigaiah
12	194 / 6	Private	WET	0.02	Chikkarangaiah S / o Rangaiah
13	194 / 7	Private	WET	0.0079	Kariyanna S / o Chikkalinganna , R Puradaiah S / o Rangaiah
14	194 / 8	Private	WET	0.0016	Jayanna S / o Chikkarangappa
15	195	Private	WET	0.18	Parvathamma W / o Narasappa
16	6 / 2B	Private	dry	0.0607	Karegowda S / o Karethimmegowda
			TOTAL	0.6075	

[F. No. NH-12014/7/2016-KNT(P-6)/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.